

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 01.07.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 160/25 धारा 137(2)/87/61(2)/74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ अन्शू परिहार पुत्र राजबहादुर निवासी हरक्का थाना व जिला जालौन (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 388/21 धारा 452/354/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र छोटेलाल 2. श्रीराम पुत्र हीरालाल 3. रामप्रकाश पुत्र हुलासी निवासीगण मन्शुरा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 362/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त आशिक मो0 पुत्र रज्जन बक्श निवासी ग्राम हरचन्दापुर थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 185/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त बिपिन पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम खिरिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 297/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सौरभ यादव पुत्र जयनारायन यादव निवासी गम्भीरपुर थाना टिकरा थाना कानपुर नगर 2. शिवम यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी नयी तहसील के पास थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर 3. राजीव चौहान पुत्र गौरव चौहान निवासी 876/657 रतनपुर थाना पनकी जनपद कानपुर नगर 4. मोनू कुमार पुत्र फुलसिंह निवासी मवई थाना कदौरा जनपद जालौन हाल पता सी0वी0 रमन स्कूल के पास रतनपुर थाना पनकी कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।